म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क. / बोर्ड / अंके. / विभा. / 980 / 1662 भोपाल, दिनांक 21 / 08 / 19

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि मुख्यालय स्तर से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो के विभागीय आंतरिक संपरीक्षा हेतु अंकेक्षाण कार्यकम जारी किये जाते है। अंकेक्षण दल संबंधित मंडी समिति में उपस्थित होने एवं सचिव के द्वारा पर अवगत कराया जता है कि मंडी समिति का स्थानीय निधि संपरीक्षा,आवासीय संपरीक्षा का अंकेक्षण हो जाने एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण वर्तमान मे चालू रहने, मंडी की पीक सीजन होने, अंकेक्षण वर्ष के अभिलेख केशबुक आदि चार्टड एकाउण्टेट के पास होने, कर्मचारियो की कमी का अभाव इत्यादि कारणो से अंकेक्षण दल को उक्त कार्य की असमर्थता व्यक्त करते हुये अंकेक्षण दल को वापस कर दिया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण एवं विभागीय अंकेक्षण संपादित किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कार्यालयीन सतत प्रकिया है। सचिव के द्वारा अंकेक्षण दल को बिना अंकेक्षण संपादित कराये बिना अंकेक्षक दल को वापस करना वरिष्ठालय के निर्देशो की अवहेलना की श्रेणी मे आता है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालयीन परिपत्र 1216 दिनांक 01.10.11एवं परिपत्र कमांक 3795 दिनांक 07.05.16 से विभागीय अंकेक्षण सम्पादित नही कराने की सूचना वरिष्ठालय को देने पर संबंधित सचिव के विरूद्व कठोर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है)

अतः निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम अनुसार मंडी समिति का अंकेक्षण संपादित कराये जाने हेतु अंकेक्षण दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुये अंकेक्षण संपादित कराया जाना सुनिश्चित करे। सचिव के द्वारा अंकेक्षण नही कराने की सूचना वरिष्ठालय को देने अथवा अंकेक्षण दल के बिना अंकेंक्षण किये वापस होने पर संबंधित सचिव के विरूद्व कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

उक्त निर्देशो का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार द्विवेदी)
अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / बोर्ड / अंके. / विभा. / 980 / 1663 भोपाल, दिनांक 21 / 08 / 19
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय——————— की और भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कठाई से पालन किये जाने हेतु अधीनस्थ मंडी समितियो को निर्देशित किये जाने हेतु।
3. भारसाधक अधिकारी / सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) की और उपरोक्त निर्देशो का कठाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
4. समस्त सहायक लेखाधिारी / वरिष्ठ अंकेक्षक / कनिष्ठ अंकेक्षक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल / आंचलिक कार्यालय / तकनीकी संभागा की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(90)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./अंके./विभा./438/1216 भोपाल, दिनांक 01/10/11

परिपत्र

प्रायः देखने मे आया है कि मुख्यालय स्तर से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के विभागीय आंतरिक संपरीक्षा हेतु अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किये जाते है। अंकेक्षण दल संबंधित मंडी समिति मे उपस्थित होने के उपरान्त अवगत कराया जाता है कि अंकेक्षण वर्ष के अभिलेख/केशबुक आदि चार्टड एकाउन्टेंट के पास होने, निर्माण संबंधी अभिलेख उपयंत्री अथवा आंचलिक कार्यालय मे होने, नियमन संबंधी अभिलेख पंजीयॉ अपूर्ण होने,सचिव का मुख्यालय पर उपस्थित नही रहने, आंचलिक कार्यालय या वरिष्ठ कार्यालय की वीडियो कांफ्रेस एंव बैठक मे उपस्थित रहने, संबंधित लेखापाल/कर्मचारी के अवकाश पर होने ,एवं कर्मचारियों का जिला/तहसील कार्यालय मे डयूटी होने, रवी–खरीब का पीक सीजन होने आदि का कारण लेकर अंकेक्षण दल को उक्त कार्य की असमर्थता व्यक्त करते हुये दल को वापस कर दिया जाता है। जो वरिष्ठालय के निर्देशो की स्पष्ट अवहेलना है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय आंतरिक अंकेक्षण, स्थानीय निधि संपरीक्षा की भॉति दीर्घकालीन नही होकर अल्प समय मे सम्पन्न किया जाता है ।अतः निर्देशित किया जाता है कि आंतरिक अंकेक्षण दल को सम्पूर्ण अभिलेख /रिकार्ड उपलब्ध कराया जाकर अंकेक्षण कार्य मे सहयोग करे। अंकेक्षक दल द्वारा उपरोक्त कारणो से अंकेक्षण कार्य सम्पादित नही करने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा वरिष्ठालय को दूरभाष पर करते है, तो संबंधित सचिव एवं उत्तरदायी के विरूद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशो का कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(राकेश कुमार खरे)
अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./अंके./विभा./438/1217 भोपाल, दिनांक 01/10/11

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर संचालक (वित्त/कार्मिक) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल और सूचनार्थ।
3. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... संभाग .... की ओर भेजकर लेख है कि अंकेक्षक दल को आपके अधीनस्थ मंडी समितियों एवं निर्माण संबंधी अमलो को अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश देवे।
4. श्री......................................सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ अंकेक्षक/कनिष्ठ अंकेक्षक,मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय..........................की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....जिला .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/अंके./विभा./840/3715 भोपाल, दिनांक 07/05/16

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि मुख्यालय स्तर से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो के विभागीय आंतरिक संपरीक्षा हेतु अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किये जाते है। अंकेक्षण दल संबंधित मंडी समिति में उपस्थित होने पर अवगत कराया जाता है कि मंडी समिति का स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण हो जाने एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण वर्तमान मे चालू रहने, मंडी की पीक सीजन होने, अंकेक्षण वर्ष के अभिलेख केशबुक आदि चार्टड एकाउण्टेट के पास होने, कर्मचारियो की कमी का अभाव इत्यादि कारणो से अंकेक्षण दल को उक्त कार्य की असमर्थता व्यक्त करते हुये अंकेक्षण दल को वापस कर दिया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण एवं विभागीय अंकेक्षण संपादित किया जाना एक कार्यालयीन सतत प्रकिया है अंकेक्षण संपादित कराने मे मंडी समिति के लेखापाल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार अंकेक्षण दल को बिना अंकेक्षण किये वापस करना उचित नही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय स्तर से जारी किये गये अंकेक्षण कार्यक्रम अनुसार मंडी समिति का अंकेक्षण संपादित कराये जाने हेतु अंकेक्षण दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुये अंकेक्षण संपादित कराया जाना सुनिश्चित करे अंकेक्षण दल के बिना अंकेंक्षण किये वापस होने पर संबंधित सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशो का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बोर्ड/अंके./विभा./840/3716 भोपाल, दिनांक 07/05/16

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. मुख्य अभियन्ता म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्यं कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग ———— की और भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कठाई से पालन किये जाने हेतु अधीनस्थ मंडी समितियो को निर्देशित करना सुनिश्चित करे।
5. सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) ————जिला ———— की और उपरोक्त निर्देशो का कठाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
6. समस्त सहायक लेखाधिरी/अंकेंक्षको म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय ....की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\New Folder\desktop\Data\bharne\audit 21.doc